9 NOV 2015

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर (म0प्र0)

(केम्प सागर संभाग सागर (म0प्र0)

1. भोले शर्मा आत्मज स्व0 श्री महादेव शर्मा
निवासी फुटेरा वार्ड नम्बर 2, दमोह (म0प्र0)

........................पुनरीक्षणकर्ता

// विरूद्ध //

1. मध्यप्रदेश शासन

2. श्रीमान् खनिज अधिकारी दमोह (म0प्र0)

...................प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक द्वितीय अपील माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर (म0प्र0) की न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 767अ/67–12–13 पेश की थी। जिसमें दिनॉक 16/09/2015 को माननीय निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा अपील निरस्त कर दी। जिससे दुखी होकर रिवीजनकर्ता ने यह रिवीजन आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि जिला दमोह (म0प्र0) में पदस्थ खनिज अधिकारी द्वारा दिनॉक 28/11/2011 को ग्राम धनगौर खेजरा में पटवारी हल्का नं0 12 खसरा नं0 24,25 के नीलाम खदान का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कर्ता द्वारा 900 घनमीटर बजरा (रेत) निकालकर मानपुर धनगौर रोड

लगातार 2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-19-II/16 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा नस्ती में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों एवं अन्य अभिलेखगत दस्तावेजों की प्रतियों का, जो कि आवेदक द्वारा ही उपलब्ध कराई गई हैं, परिशीलन किया। SDO दमोह ने खनिज अधिकारी/निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के विरुद्ध अर्थदण्ड का आदेश दि 30.6.12 पारित किया है, जिसके विरुद्ध अपर कलेक्टर ने प्रथम अपील दि 21.5.13 को खारिज की और अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील दि. 16.9.15 के आदेश से खारिज की, जिसके विरुद्ध यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत हुआ है। आवेदक का प्रथम तर्क यह है कि SDO ने उसके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश किया। इस संबंध में SDO के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि आवेदक ने SDO का नोटिस पढ़कर वापस कर दिया जो तामीली की श्रेणी में आता है, जिसके बाद SDO ने दूसरा नोटिस चस्पा कराया। अपर आयुक्त ने भी इस बिन्दु पर [illegible] हुआ स्पष्ट निर्णय आक्षेपित आदेश में लिया है। अतः यह बिन्दु स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक का दूसरा तर्क है कि संबंधित खदानें नीलाम की थीं, किन्तु प्रकरण रेत के उत्खनन का था और मौके से कोई ट्रैक्टर या JCB भी जप्त नहीं हुए।	
	इस संबंध में इतना ही यह स्पष्ट है कि ट्रैक्टर एवं JCB movable (चल प्रकृति के) वाहन हैं, जिन्हें मौके से हटाया जा सकता है, अतः इनके जप्त ना होने से अवैध उत्खनन के तथ्यात्मक बिन्दुओं पर प्रभाव पड़ना नहीं माना जा सकता।	
	दूसरे, खनिज अधिकारी / निरीक्षक के प्रतिवेदन दि 12-12-11 में 900 घ.मी. रेत पाई जाने का स्पष्ट लेख है, जिसे नीलाम खदानों से लगे क्षेत्र पर अवैध उत्खनन कर रेत पर डालेजाने का लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि रेत का अवैध उत्खनन हुआ था जो कि नीलाम खदानों से लगे क्षेत्र से हुआ था, और इन कारणों से वह MPLRC की धारा 247(7) में आता है।	
	उपरोक्त के प्रकाश में निगरानी की कोई स्वीकृति योग्य ठोस आधार नहीं होने से, यह प्रकरण अग्राह्य कर प्रा. से समाप्त किया जाता है।	
	आदेश घोषित। पक्षकार सूचित हों। द. द. हो।	
	[signature]	सदस्य

शाक्षेमुग्वा—714—असरामभप्रग्वा—29-2-2012—15,000.